

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली  
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 22/2021

जीसीएमएस नम्बर : 2021/45

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
विकास अधिकारी, पंचायत समिति रानी जिला पाली		1. सरपंच ग्राम पंचायत रानीकलां 2. जगदीश/प्रभुजी राजपुरोहित (सार्वजनिक) घांची निवासी रानीकलां तहसील रानी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति -

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल प्रजापत उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांक :- 18.6.2024

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, रानीकलां द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 22 दिनांक 25.09.2019 के विरुद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। प्रार्थी तथा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की बहस सुनी गयी।

प्रार्थी ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तत्कालीन सरपंच रानीकलां ने नियम विरुद्ध जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के तहत जारी किया। नियम 158 के तहत ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्ग को रियायती दर पर पट्टा जारी किया जा सकता है, परन्तु जैर निगरानी प्रकरण में अप्रार्थी कमजोर वर्ग से नहीं है क्योंकि प्रार्थी का दूसरा पक्का मकान पहले से ही है और वह उसमें निवासरत है। वर्तमान में मौके पर किसी प्रकार का कच्चा या पक्का झोपडा/मकान बना हुआ नहीं है और न ही उक्त भूखण्ड पर किसी का रहवास है। मिसल में दर्ज आदेशिकाए कम्प्युटर से निर्धारित फॉरमेट में तैयार की है, जिसमें खाली जगह रखकर नाम भरे है। कही कॉलम रिक्त है तो कही दिनांक रिक्त है। अतः ऐसे निर्धारित फॉरमेट के आधार पर की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही विधिविरुद्ध प्रतीत होती है। जांच पत्रावलियों से भी यह स्पष्ट होता है कि सारी मिसल कार्यवाही एक ही दिन में तैयार कर आदेशिकाओं में आगे दिनांक अंकित कर खाली जगह भरी गयी। न तो मौका देखा गया और न ही आपत्ति ईशतहार पर कोई क्रमांक अंकित है। निरीक्षणकर्ता एवं बयानकर्ता की वल्लिदयती के सम्बन्ध में कोई जानकारी अंकित नहीं है। ग्राम पंचायत रानीकलां द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया की किसी भी रूप में

*Luak*

अति. जिला कलक्टर, पाली

2 | पंचायत निगरानी संख्या 22/2021 विकास अधिकारी पंचायत समिति रानी बनाम सरपंच ग्राम पंचायत रानीकलां वगैरा पालना नहीं की गई है। ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या 02 को नियम विरुद्ध जारी किया है जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी विकास अधिकारी निगरानी पेश नहीं कर सकता, पंचायती राज अधिनियम की धारा 61 के तहत एक अपील ऑथोरिटी होती है। प्रार्थी ने कथन किया कि जैर निगरानी पट्टे की मिसल एक ही दिन में बनी हुई है, जिसमें पंचायत नियमों की पालना नहीं हुई है। चूंकि जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध अप्रार्थी संख्या 2 ने नियमानुसार शुल्क जमा करवायी है, जिसके उपरान्त विधिनुसार कार्यवाही की गयी है। साथ ही प्रार्थी ने कथन किया कि जैर निगरानी भूखण्ड आबादी में नहीं है, यदि उक्त भूखण्ड में आबादी में नहीं होता तो पटवारी द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध धारा 91 की कार्यवाही, टी.पी. रिपोर्ट अथवा किस्म की रिपोर्ट पेश कर अप्रार्थी संख्या 2 को बेदखल करने की कार्यवाही की जाती परन्तु ऐसा नहीं किया गया जिससे भी यह स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा आबादी भूमि में ही जारी किया गया है। मिसल की आदेशिकाये यदि कम्प्यूटर से तैयार की जाती है तो अप्रार्थी संख्या 2 की इसमें कोई गलती नहीं है, साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी में अंकित तथ्य ग्राम पंचायत के नाम से है अप्रार्थी के नाम से नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी राजनैतिक दैष भावना को दर्शाता है। इसलिये जैर निगरानी को खारिज फरमावे।

प्रार्थी तथा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत, रानीकलां द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 जगदीश पुत्र प्रभुजी राजपुरोहित (सार्वजनिक) के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 22 दिनांक 25.09.2019 के विरुद्ध पेश की गई। अप्रार्थी संख्या 2 ने सार्वजनिक उद्यान बनाने के लिये पट्टा बनाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 13.03.2017 को प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2017 को मिसल कायम की गयी तथा आज्ञा दिनांक 21.01.2019 के द्वारा स्थल निरीक्षण हेतु तीन वार्ड पंचों की समिति गठित की जाकर मौका निरीक्षण एवं सचिव को नक्शा बनाने हेतु निर्देशित किया गया। सम्पूर्ण मिसल एक निर्धारित प्रपत्र में कम्प्यूटर टाईप है, जिसमें रिक्त स्थान छोड़कर आवेदक की जानकारी, वार्डपंच का नाम, दिनांक आदि का हस्तलिखित अंकन से किया गया है। साथ ही प्रत्येक दिनांक की कार्यवाही अलग अलग कागज पर निर्धारित प्रपत्र में प्रिंट की हुई है। आज्ञा दिनांक 05.09.2019 में अंकितानुसार नियम 148 के तहत एक माह का आपत्ति पत्र जारी किया गया था, मगर निर्धारित म्याद में किसी ने भी कोई आपत्ति पेश नहीं की है तथा अप्रार्थी गरीब परिवार से है व इस भूमि पर इसके अलावा किसी अन्य का हक नहीं है, इसलिये सर्वसम्मति नियम 158 के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया परन्तु इससे पूर्व की किसी भी आज्ञा दिनांक में कही पर भी यह अंकित नहीं किया हुआ है कि नियम 148 के तहत आपत्ति ईशतहार जारी किया जाये अर्थात् ग्राम पंचायत ने आपत्ति ईशतहार जारी किये जाने एवं दो स्वतंत्र गवाहों के बयान का प्रस्ताव लिये बिना ही जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने पंचायती राज

*Leak*

अति. जिला कलक्टर, पाली

नियमों की अवहेलना करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो विधिविरुद्ध होने से खारिज योग्य है।

राज. पंचायती राज. नियम 1996 के नियम 148(2) के अनुसार जारी आपत्ति ईशतहार दो प्रतियों में तैयार किया जाकर उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगायी जायेगी, दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर होने चाहिये जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में दिनांक 21.01.2019 को जारी आपत्ति ईशतहार पर ग्राम पंचायत का डिस्पेच क्रमांक एसपीएल/19 अंकित है, किसी भी गवाह के हस्ताक्षर ही नहीं है और न ही चस्पानगी रिपोर्ट है। साथ ही मिसल के साथ दो स्वतंत्र गवाहों के बयान भी संलग्न नहीं है।

पंचायत समिति रानी के पत्र दिनांक 23.12.2019 की पालना में पंचायत प्रसार अधिकारी रानी स्टेशन द्वारा जारी जांच प्रतिवेदन में अंकितानुसार क्र.सं. 10 पर अंकित सार्वजनिक उद्यान के नाम से जगदीश/प्रभुसिंह को निःशुल्क पट्टा जारी किया गया है, जो कि नियम विरुद्ध है। क्योंकि नियम 158 के तहत रियायती दर पर या निःशुल्क पट्टे सिर्फ उन्ही को जारी कर सकते है, जिनका पूर्व में कही भी आवासीय मकान बना हुआ नहीं हो तथा प्रार्थी बी.पी.एल. एस.सी., एस.टी., आदि हो परन्तु पंचायत द्वारा नियम 158 के तहत जिनको भी पट्टे जारी किये गये है उन सभी के पूर्व में आवासीय मकान बने हुए है तथा वे सभी आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न परिवार है। जांच प्रतिवेदन के विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया की अक्षरशः पालना नहीं कर अप्रार्थी संख्या 02 को नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया है, जो विधि सम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

पत्रावली के संलग्न ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही दिनांक 06.07.2020 के प्रस्ताव संख्या 4 (E) में यह स्पष्ट अंकित है कि "सार्वजनिक जगदीश/प्रभुसिंह उद्यान के नाम नियम 158 के तहत पट्टा संख्या 22 दिनांक 25.09.2019 निःशुल्क जारी किया गया है जो कुल 3150 वर्गफीट है, जो नियम विरुद्ध है क्योंकि इस पट्टे में सार्वजनिक व जगदीश/प्रभुसिंह उद्यान दोनों ही लिखा हुआ है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उद्यान सार्वजनिक होगा या जगदीश/प्रभुसिंह का। जिस स्थान का पट्टा जारी किया गया है, वह महिला शौचालय के रूप में काम में आता है जहा किसी प्रकार का उद्यान नहीं है। ग्राम पंचायत ने व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने की नियत से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिससे ग्राम पंचायत को सजस्व नुकसान हुआ है। अतः उक्त नियम विरुद्ध पट्टे को निरस्त करवाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।" जिससे भी यह सुस्पष्ट होता है कि जैर निगरानी पट्टा विधिविरुद्ध है, जिसे खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 ने सार्वजनिक उद्यान बनाने के लिये पट्टा बनाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 13.03.2017 को प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की गयी। सम्पूर्ण मिसल एक निर्धारित प्रपत्र में



अति. जिला कलक्टर, पाली



कम्प्यूटर टाईप है, साथ ही प्रत्येक दिनांक की कार्यवाही अलग अलग कागज पर निर्धारित प्रपत्र में प्रिंट की हुई है। आज्ञा दिनांक 05.09.2019 में नियम 148 के तहत आपत्ति पत्र पर कोई आपत्ति पेश नहीं होना बताते हुये नियम 158 के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया परन्तु इससे पूर्व कि किसी भी आज्ञा दिनांक में नियम 148 के तहत आपत्ति ईशतहार जारी किये जाने का प्रस्ताव नहीं लिया गया। अर्थात् ग्राम पंचायत ने आपत्ति ईशतहार जारी किये जाने एवं दो स्वतंत्र गवाहों के बयान का प्रस्ताव लिये बिना ही जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में दिनांक 21.01.2019 को जो आपत्ति ईशतहार जारी किया है उस पर किसी भी गवाह के हस्ताक्षर ही नहीं है और न ही चस्पानगी रिपोर्ट है, न ही मिसल के साथ दो स्वतंत्र गवाहों के बयान संलग्न है। पंचायत समिति रानी के पत्र दिनांक 23.12.2019 की पालना में पंचायत प्रसार अधिकारी रानी स्टेशन द्वारा जारी जांच प्रतिवेदन से भी यह सुस्पष्ट विधित होता है कि ग्राम पंचायत ने अवैधानिक तरीके से जैर निगरानी पट्टा किया है। साथ ही ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही दिनांक 06.07.2020 के प्रस्ताव संख्या 4 (E) में भी यह स्पष्टतया अंकित है कि ग्राम पंचायत ने व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने की नियत से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिससे ग्राम पंचायत को राजस्व नुकसान हुआ है, जिसे निरस्त करवाने का प्रस्ताव बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया। लिहाजा जैर निगरानी पट्टा खारिज योग्य है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, रानीकलां द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 जगदीश पुत्र प्रभुजी राजपुरोहित (सार्वजनिक) के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 22 दिनांक 25.09.2019 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जावे।



निर्णय आज दिनांक 18/6/2024  
हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*Lucho*  
(डॉ राजेश गोयल)

अति. जिला कलेक्टर, पाली  
**अति. जिला कलेक्टर, पाली**

को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद

*Lucho*

(डॉ राजेश गोयल)

अति. जिला कलेक्टर, पाली  
**अति. जिला कलेक्टर, पाली**